न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–393/2026
सोमसरन–बनाम– उ०प्र० सरकार आदि,
CNR No–UPBH01003808–2026

19.08.2026

निस्तारण प्रार्थना–पत्र 5–अ, अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियमः–

पत्रावली आज निस्तारण हेतु पेश हुई।

आवेदक सोमसरन की ओर से प्रार्थना–पत्र 5–अ अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम वास्ते क्षमा किये जाने विलम्ब संस्थित करने अपील निम्न अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है किः–

अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायालय सिविल जज(अ०ख०)एफ०टी०सी०(महिलाओं से संबंधित अपराध), बहराइच ने दिनांक–12.03.26 को धारा–23 घरेलू हिंसा में आवेदक के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया है। आदेश पारित होने के बाद इजराय होने पर अपीलार्थी को अफवाहन पता चला। माह जून, 2026 के प्रथम सप्ताह में कचहरी आया, अधिवक्ता से मिला दिनांक–12.06.2026 नकल हेतु आवेदन किया। दिनांक–15.06.26 को नकल प्राप्त हुई, तब सारी जानकारी हुई। जानकारी से अपील अंडर मियाद है। किसी भी तकनीकी आधार से बचने के लिए मियाद प्रार्थना–पत्र दिया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि जानकारी से अपील अन्दर मियाद होने के कारण स्वीकार किया जाये। प्रार्थना–पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र 6–ब से समर्थित किया गया है।

विपक्षी संख्या–1 उ०प्र० राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), बहराइच व विपक्षी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया तथा विपक्षी संख्या–2 द्वारा आपत्ति ब–12 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया किः–

अपीलार्थी ने न्यायालय पर धारा–23 में पारित आदेश दिनांकित–12.03.26 के विरुद्ध अपील की है, जिसमें मियाद प्रार्थना–पत्र दिया है। उसमें जो भी तथ्य मियाद पाने हेतु लिखे हैं, वह सभी तथ्य गलत अंकित किए गए हैं। विपक्षी ने धारा–12 घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अंतरिम भरण–पोषण प्रार्थना–पत्र दिनांक–11.01.2024 को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अपीलार्थी की आपत्ति आने के बाद तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अंतरिम भरण–पोषण के प्रार्थना–पत्र पर दिनांक–12.03.26 को आदेश पारित किया, जो हर तरह से सही है। विपक्षीय संख्या–2 पर्दानसीम महिला है। कोई हुनर नहीं जानती तथा विपक्षी के बच्चे पढ़ाई करते हैं। विपक्षी व उसके बच्चों का खर्च विपक्षी सं०–2 की माता किसी प्रकार से मजदूरी करके करती है। वह भी अब काफी बुजुर्ग है तथा बीमार रहती है, इसलिए विपक्षी व उसके बच्चों का भरण–पोषण व पढ़ाई–लिखाई बड़ी ही मुश्किलों से हो पा रही है। अपीलार्थी का जॉइंट परिवार है। अपीलार्थी पांच भाई हैं। अपीलार्थी के पिता की सेवा परवरिश पांचो भाई मिलकर करते हैं। अपीलार्थी दिल्ली में रहकर कपड़े का कारोबार करता है। अच्छा–खासा कमा लेता है, इसलिए अपीलार्थी का पूर्णरूप दायित्व है कि वह विपक्षी व उसके बच्चों की पढ़ाई–लिखाई व भरण–पोषण सुचारू रूप से करें। न्यायालय ने जो भी दौरान मुकदमा अन्तरिम भरण–पोषण विपक्षी व उसके लड़कों को देने का आदेश पारित किया है, वह किसी भी माने में गलत नहीं है, इसलिए अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र दिनांक–19.06.26 निरस्त

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.08.19 15:40:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किए जाने योग्य है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि विपक्षी की आपत्ति स्वीकार करते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र दिनांकित 19.06.26 निरस्त किया जाये।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक की ओर से आदेश दिनांकित–12.03.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संस्थित किये जाने हेतु अपील प्रार्थना–पत्र मय प्रार्थना–पत्र धारा–5 परिसीमा अधिनियम दिनांक–19.06.2026 को प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम में आक्षेपित आदेश की जानकारी अफवाहन होना बताया गया है, जबकि अफवाहन जानकारी किस माध्यम से हुई इसका उल्लेख नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदक की ओर से आक्षेपित आदेश दिनांकित–12.03.2026 की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक–12.06.2026 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिनांक–15.06.2026 नकल प्राप्त की गई, जिसके तीन दिन उपरान्त एवं आपेक्षित आदेश के लगभग 03 माह 06 दिन उपरान्त अपील प्रार्थना–पत्र मय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम दिनांक–19.06.2026 को प्रस्तुत किया गया। यद्यपि आवेदक द्वारा मामले की कार्यवाही के प्रति उपेक्षा बरते जाने का तथ्य परिलक्षित होता, तथापि नैसर्गिक न्याय की यह वांछा है कि किसी प्रकरण का निस्तारण उभय पक्ष को उपलब्ध विधिक उपचारों के अधीन स्वंय का पक्ष रखे जाने की उपलब्धता प्रदान कर गुणदोष के आधार पर प्रकरण का प्रभावी निस्तारण किया जाये। ऐसी स्थिति में धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किया जाना आवेदक को विधिक उपचारों से वंचित किया जाना होगा। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत विलंब मर्षण हेतु प्रार्थना–पत्र आवेदक पर यथोचित हर्जा अधिरोपित करते हुये स्वीकार किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, आवेदक को अपील प्रस्तुत करने में कारित किये गये विलंब के मर्षण का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा। तद्नुसार उपरोक्त प्रार्थना–पत्र हर्जा अधिरोपित किये जाने की शर्त पर ही स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र 5–अ, अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम पांच सौ रूपये (500/–रूपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है और अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। हर्जा नियत तिथि तक अदा किया जाये। ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक–05.09.2026 को पेश हो।

आपत्ति ब–12 तद्नुसार निस्तारित की जाती है।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

दिनांक–19.08.2026 **Id.No.–UP2017**